[2013] 4 S.C.R. 704

**स्टेट ऑफ राजस्थान एवं वगेरह**

**विरुद्ध**

**हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड एवं अन्य**

**[सिविल अपील संख्या 2008 की 1494]**

**मार्च 11, 2013**

**[आर एम लोढ़ा एवं अनिल अरे दवे, न्यायाधीशगण ]**

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957–धारा 9 – खनिज रियायत नियम, 1960 , नियम 64 ए, 648, 64 सी और 64 डी – सीसा और जस्ता निकालने के लिए खनन पट्टा– पट्टाधारक द्वारा निकाले गए खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की वसूली – रॉयल्टी की गणना के लिए पद्धति – केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाएं – अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 1997 तथा प्रतिस्थापित अधिसूचना – दिनांक 12 सितंबर, 2000 –उच्च न्यायालय ने माना कि पट्टेदार–कंपनी अवशेष पर रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि अवशेष को पट्टे के क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला गया है और नियम.64 सी के अनुसार, जब तक पट्टेदार द्वारा डंप किए गए अवशेष या अस्वीकृत का उपभोग नहीं किया जाता है, ऐसे अवशेष या अस्वीकृत पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जा सकती है। माना गया: उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही है। खनन क्षेत्र में खनन के दौरान अवशेष, कीचड़ या अस्वीकृत के माध्यम से बची हुई धातु की नगण्य सामग्री, जो धरती माता को लौटा दी जाती है उसे उत्पादित अयस्क में धातु की मात्रा का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है – प्रासंगिक नियमों के साथ पठित दिनांक 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना के आधार पर, पट्टेदार–कंपनी को केवल उत्पादित अयस्क में धातु की सामग्री पर रॉयल्टी का भुगतान करना होगा, न कि उस पर अवशेष, अस्वीकृत या कीचड़ में मौजूद धातु पर जिसे पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया था और जिसे पट्टे वाले क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया था।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957– धारा 9 – खनिज रियायत नियम, 1960 – धारा 64 ए, 64 बी, 64 सी और 64 डी – सीसा और जस्ता निकालने के लिए खनन पट्टेदार द्वारा निकाले गए खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की वसूली – रॉयल्टी की गणना की पद्धति पर पट्टेदार का विवाद – उत्पादित अयस्क में निहित सीसा और जस्ता पर देय रॉयल्टी की फिर से गणना करने के लिए मामले को खनन इंजीनियर को भेजते हुए उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश – माना गया – चूंकि पट्टे के क्षेत्र से बाहर ले जाए गए धातु का सांद्रण पार्टियों को ज्ञात था, इसलिए पट्टेदार–कंपनी द्वारा उत्पादित अयस्क के संबंध में कोई और विवरण की आवश्यक नहीं थी – तदनुसार निर्देश रद्द कर दिया गया।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत सीसा और जस्ता निकालने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य ने मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को पट्टे पर भूमि दी थी। अधिनियम की धारा 9 खनन पट्टा धारक द्वारा निकाले गए खनिजों के संबंध में राज्य को रॉयल्टी वसूल करने का अधिकार देती है। खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 ए, 64 बी, 64 सी और 64 डी देय रॉयल्टी की राशि की गणना से संबंधित हैं।

11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना के तहत सीसा और जस्ता के संबंध में रॉयल्टी उत्पादित खनिज सांद्रता के आधार पर ली जानी थी। लेकिन इसके बाद, 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना को प्रतिस्थापित करते हुए, 12 सितंबर, 2000 की एक अन्य अधिसूचना के आधार पर उपरोक्त दो खनिजों के संबंध में उत्पादित अयस्क में पाए जाने वाले धातु की मात्रा की रॉयल्टी यथामूल्य आधार पर देय हो गई। .

तदनुसार, कंपनी द्वारा निकाले गए सीसा और जस्ता के संबंध में अतिरिक्त रॉयल्टी की वसूली के लिए पट्टेदार कंपनी (मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड) को नोटिस जारी किए गए थे। कंपनी ने तर्क दिया कि जब तक अयस्कों को पट्टे के परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, तब तक रॉयल्टी नहीं लगाई जाएगी और अवशेष में सीसा और जस्ता की नगण्य सामग्री होती है, जिसे पट्टे के क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया जाता है और जिसे पट्टे के क्षेत्र के भीतर डंप किया जाता है। रॉयल्टी की गणना के प्रयोजन के लिए इस अवशेष को शामिल नहीं किया जा सकता।

रॉयल्टी की अतिरिक्त मांग को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने माना कि पट्टेदार–कंपनी अवशेष अवशेष अवशेष अवशेष पर रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उन्हें लीज क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया है और इसके अलावा नियमों के नियम 64 सी के अनुसार, जब तक डंप किए गए अवशेष या अस्वीकृत का उपभोग नहीं किया जाता है तब तक पट्टेदार से ऐसे अवशेष या अस्वीकृत पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जा सकती। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उत्पादित अयस्क में मौजूद सीसा और जस्ता पर देय रॉयल्टी की गणना खनन इंजीनियर द्वारा फिर से की जाए।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ, प्रस्तुत दो अपील, एक राजस्थान राज्य द्वारा था और दूसरा मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिनेटेड द्वारा दायर किए गए ।

राजस्थान राज्य द्वारा दायर सिविल अपील 2008 क्रमांक 1494 ने मुख्य रूप से इस आधार पर आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी कि उक्त निर्णय में दी गयी निर्देशित पद्धति को लागू करने पर राज्य को बहुत नुकसान होगा क्योंकि पट्टेदार कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, को जितनी रॉयल्टी देनी चाहिए उससे बहुत कम रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। दूसरी ओर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की सिविल अपील 2008 क्रमांक 1526 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी उस निर्देश को चुनौती दी गई, जिसके तहत खनन इंजीनियर को रॉयल्टी की राशि की गणना फिर से करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायालय द्वारा अपीलों का निस्तारण

माना गया:

सिविल अपील सं. 2008 का 1484

1.1. हाईकोर्ट का निष्कर्ष सही है। खनिज अधिग्रहण नियम, 1950 के नियम 64 सी के प्रावधानों के अवलोकन से यह बहुत स्पष्ट है कि जब तक अवशेष या अस्वीकृत का उपयोग बिक्री के लिए या खपत के लिए नहीं किया जाता है, ऐसे अवशेष या अस्वीकृत रॉयल्टी के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसके अलावा, नियमों के नियम 64 बी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खनन के दौरान केवल पट्टेवाले क्षेत्र से बाहर ले जाए गए संसाधित खनिज पर ही रॉयल्टी ली जाएगी। [पैरा 23, 27, 28] [714–एफ; 715–एच; 716–ए–बी]

1.2. दिनांक 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना स्पष्ट रूप से शासन की इस मंशा को दर्शाती है कि उत्पादित अयस्क में धातु की मात्रा पर रॉयल्टी ली जाएगी न कि अवशेषों या अस्वीकृत पर, जिन्हें पट्टे के क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया है। धातु की नगण्य सामग्री जो खनन क्षेत्र में अवशेष, कीचड़ या अस्वीकृत के रूप में रह जाती है और जो धरती में वापस आ जाती है, उसे उत्पादित अयस्क में धातु कि मात्रा का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 29] [716–बी–डी]

1.3. एक बार जब धातु का एक हिस्सा धरती को वापस लौटा दिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे निकाला गया है या यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है और जब धातु को पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला गया है या जो उत्पादित अयस्क में शामिल नहीं है, उसे रॉयल्टी के भुगतान के अधीन नहीं लाया जा सकता है क्योंकि पट्टा धारक ने कभी भी धातु के उस हिस्से को धरती से नहीं निकाला है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अयस्क उत्पादित धातु का हिस्सा है।. [पैरा 31] [716–ई–जी]

1.4. निचली अदालतों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई गलती नहीं की कि पट्टाधारक विवादित नोटिस के तहत मांगी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, क्योंकि 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना और प्रासंगिक नियमों के अनुसार पट्टाधारक को केवल उत्पादित अयस्क में धातु की मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान करना होता है, न कि अवशेषों, अस्वीकृत या स्लाइम में निहित धातु पर, जिसे पट्टे के क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया था और जिसे पट्टा क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया गया था। [पैरा 35] [717–डी–एफ]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। *(2004) 6* एससीसी *281: 2004 (2)* पूरक। एससीआर *1* – पर भरोसा किया।

उड़ीसा राज्य एवं अन्य। वी. मैसर्स. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (1998) 6 एससीसी 476: 1998 (3) एससीआर 1074 – संदर्भित।

सिविल अपील सं. 2008 का 1526

2. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उन निर्देशों से व्यथित है, जिनके तहत उत्पादित अयस्क में मौजूद सीसा और जस्ता पर देय रॉयल्टी की पुन: गणना के लिए खनन अभियंता को सौंपने का आदेश दिया गया है। उक्त पट्टेदार कंपनी की ओर से प्रस्तुतीकरण इस आशय का था कि चूंकि पूरा सांद्रण पट्टे के क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है और चूंकि सीसा और जस्ता के सांद्रण की मात्रा पार्टियों को अच्छी तरह ज्ञात थी, इसलिए ऐसा निर्देश देना आवश्यक नहीं था क्योंकि उत्पादित अयस्क में निहित धातु के आधार पर रॉयल्टी की पुनः गणना के संबंध में कोई विवाद ही नहीं है। यह तर्क युक्तिसंगत है क्योंकि–पट्टे वाले क्षेत्र से जो धातु सांद्रण निकाला गया था, वह पार्टियों को ज्ञात है और इसलिए, अपीलकर्ता–कंपनी द्वारा उत्पादित अयस्क के संबंध में किसी और विवरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उपर्युक्त निर्देश रद्द किया जाता है। [पैरा 36, 38, 39 और 40] [717– जी–एच; 718–ए, बी–डी]

**केस कानून संदर्भ:**

| | | |
|---|---|---|
| 1998 (3) एससीआर 1074 | संदर्भित | पैरा19 |
| 2004 (2) पूरक। एससीआर 1 | पर भरोसा किया | पैरा 20, 30 |

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील संख्या 1494

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 4785/2003 में डीबी सिविल विशेष अपील संख्या 43/2006 में राजस्थान के उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय और आदेश दिनांक 06.07.2007 से।

स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य बनाम हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड और अन्य

साथ

सिविल अपील 2008 का क्रमांक 1526

बसव प्रभु एस. पाटिल, के.के. वेणुगोपाल, दुष्यंत ए. दवे, प्रगति नीखरा, सूर्यनारायण सिंह, यशोदे शर्मा, मिलिंद कुमार, अनिरुद्ध सिंगनेरिया, धीरेंद्र नेगी। उपस्थित पार्टियों के लिए चेतन चोपड़ा, धीरज नायर, पूजा धर, विभा दत्ता मखीजा।

न्यायालय का निर्णय दिया गया: द्वारा –

अनिल आर. दवे, जे. 1. 2006 की डी. बी. अपील संख्या 43 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2007 को दिए गए निर्णय से व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीलें दायर की गई हैं। एक अपील राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई है, जबकि दूसरी अपील हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दायर की गई है, जिसे

राजस्थान राज्य द्वारा भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर जिलों में स्थित भूमि को सीसा और जस्ता के निष्कर्षण के लिए पट्टे पर दिया गया था।

2. चूँकि दोनों अपीलें एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, विद्वान वकील के अनुरोध पर, दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई। जहां तक राजस्थान राज्य द्वारा दायर की गई अपील, अर्थात, 2008 की सिविल अपील संख्या 1494 का संबंध है, यह मुख्य रूप से इस आधार पर आक्षेपित निर्णय को चुनौती देती है कि उक्त निर्णय में नियोजित करने के लिए निर्देशित पद्धति को लागू करने पर राज्य को बहुत नुकसान होगा और पट्टेदार कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जितनी रॉयल्टी देनी चाहिए उससे बहुत कम रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

3. दूसरी ओर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भी एक अपील दायर की गई है क्योंकि वह उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश से व्यथित है, जिसमें रॉयल्टी की राशि की फिर से गणना करने का निर्देश दिया गया है।

4. चूंकि राजस्थान राज्य द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 1494/2008 मुख्य अपील है, हम पहली बार में उक्त अपील का निपटारा करना चाहेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दायर अपील 1526/2008 का निपटारा **करेंगे।**

**<u>2008 की सिविल अपील संख्या 1494</u>**

5. राज्य की नोटिस दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 के तहत प्रतिवादी–कंपनी को सीसा और जस्ता के संबंध में अतिरिक्त रॉयल्टी की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए थे जिनको राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि उसके समक्ष दायर अपील में डिवीजन बेंच द्वारा की गई थी। अपीलकर्ता–राज्य और राज्य प्राधिकारी उस आक्षेपित आदेश से व्यथित हैं। राज्य और प्रतिवादी–कंपनी की ओर से उपस्थित संबंधित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वह नोटिस जिसके तहत अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी, कानून की दृष्टि से खराब थे और इसलिए, याचिका की अनुमति दी गई थी और 22 दिसंबर, 2001, 24 दिसंबर, 2001 और 4 जनवरी, 2002 के आक्षेपित नोटिस रद्द कर दिए गए थे। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि पूर्वोक्त नोटिस को प्रतिवादी–कंपनी द्वारा शुरू में खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने उक्त नोटिस की वैधता की पुष्टि की थी और विवादित नोटिस की वैधता को बरकरार रखा गया था। इस 2 जुलाई, 2003 के पुनरीक्षण प्राधिकार के आदेश को भी विद्वान एकल न्यायाधीश ने रद्द कर दिया था।

6. प्रश्नगत मुद्दे के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

7. प्रतिवादी–कंपनी को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (आगे इसे'अधिनिय' के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत सीसा और जस्ता निकालने के उद्देश्य से जिला भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर के क्षेत्रों में भूमि पट्टे पर दी गई थी। । अधिनियम की धारा 9 चार्जिंग धारा है

जो खनन पट्टा धारक द्वारा निकाले गए खनिजों के संबंध में राज्य को रॉयल्टी वसूलने का अधिकार देता है| अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज रियायत नियम, 1960 (आगे इसे 'नियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा") तैयार किए गए हैं। नियमों के नियम 64 ए, 648, 64 सी और 64 डी प्रासंगिक नियम हैं जो खनन पट्टा धारक को पट्टे पर दी गई भूमि बी से निकाले गए खनिजों के संबंध में पट्टा धारक द्वारा देय रॉयल्टी की राशि की गणना से संबंधित हैं।

8. सरकार ने समय–समय पर अधिसूचनाएं जारी कर वह दर निर्धारित की थी जिस पर पट्टा धारक द्वारा निकाले गए खनिजों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान किया जाना था। वर्तमान मामले दो खनिजों से संबंधि हैं: सीसा और जस्ता। इन अपीलों में शामिल मुद्दे का निर्धारण करने के उद्देश्य से दो अधिसूचनाएँ प्रासंगिक हैं। दिनांक 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना के तहत मद संख्या 22 और 41 के अनुसार, उपरोक्त दो खनिजों के संबंध में रॉयल्टी का भुगतान निम्नानुसार किया जाना था:

| | |
|---|---|
| आइटम नंबर 22<br>सीसा सांद्रण | यथामूल्य आधार पर लंदन मेटल एक्सचेंज धातु की कीमत का 4%<br>उत्पादित सांद्रण के प्रति टन प्रभार्य |
| आइटम नंबर 41<br>जिंक सांद्रण | यथामूल्य आधार पर लंदन मेटल एक्सचेंज धातु की कीमत का 3.5%<br>उत्पादित सांद्रण के प्रति टन प्रभार्य। |

9. इसके बाद, 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना को प्रतिस्थापित करते हुए, 12 सितंबर, 2000 की एक अन्य अधिसूचना के आधार पर, उपरोक्त दो खनिजों के संबंध में रॉयल्टी निम्नानुसार देय थी:

| | |
|---|---|
| आइटम नंबर 25<br>लीड | उत्पादित अयस्क में निहित सीसा धातु पर लंदन मेटल एक्सचेंज सीसा धातु मूल्य का 5%<br>प्रभार्य है। |
| आइटम नंबर 50<br>जिंक | उत्पादित अयस्क में निहित जिंक धातु पर यथामूल्य आधार पर लंदन मेटल एक्सचेंज<br>जिंक धातु की कीमत का 6.6% प्रभार्य है। |

10. 12 सितंबर, 2000 की पूर्वोक्त अधिसूचना के आधार पर, रॉयल्टी की गणना करने का तरीका बदल दिया गया था।

11. पहले रॉयल्टी उत्पादित खनिज सांद्रता के आधार पर ली जाती थी, लेकिन 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना सी के आधार पर, अब रॉयल्टी उत्पादित अयस्क में पाए जाने वाले धातु की मात्रा पर यथामूल्य आधार पर ली जाएगी।

12. अपीलकर्ता–राज्य के अनुसार, प्रतिवादी–पट्टा धारक को पृथ्वी से निकाले गए संपूर्ण खनिज पर रॉयल्टी का भुगतान करना था और तदनुसार रॉयल्टी के अंतर की वसूली के लिए प्रतिवादी को विवादित नोटिस जारी किए गए थे।

13. दूसरी ओर, प्रतिवादी–कंपनी का मामला यह था कि रॉयल्टी केवल उत्पादित अयस्क में सीसा और जस्ता धातु की सामग्री पर प्रभार्य थी, क्योंकि 2000 में जारी अधिसूचना के आधार पर, प्रतिवादी–कंपनी को उत्पादित अयस्क में निहित सीसा या जस्ता, जैसा भी मामला हो, की मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान करना होता है।

14. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलकर्ता–राज्य द्वारा आक्षेपित नोटिस के तहत की गई मांग को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया था, लेकिन था जब पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई तो उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया । उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में बरकरार रखा गया था।

15. अपीलकर्ता–राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12 सितंबर, 2000 के और नियमों के नियम 64 ए, 64 बी और 64 सी के प्रावधान की व्याख्या करने में उच्च न्यायालय ने त्रुटि की है| ।

16. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों का सार यह था कि उत्पादित अयस्क में निहित धातु के आधार पर रायल्टी लिया जाना चाहिए था ताकि धारा 9, अधिनियम की दूसरी अनुसूची और नियमों के नियम 64 बी, 64 सी और 64 डी के प्रावधानों को प्रभावी किया जा सके।

17. विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादी का तर्क, कि जब तक अयस्कों को पट्टे के परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, तब तक रॉयल्टी नहीं लगाई जाएगी, सही नहीं है क्योंकि अयस्क का प्रसंस्करण भी अयस्कों की खपत के समान होगा और इसलिए भले ही उक्त अयस्कों को भौतिक रूप से पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया हो, अयस्क में निहित सीसा और जस्ता की सामग्री पर रॉयल्टी का भुगतान करना होगा।

18. उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित पद्धति रॉयल्टी की गणना और गणना के संबंध में प्रावधानों को फिर से लिखने के बराबर होगी।

19. उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता–राज्य द्वारा प्रतिवादी–कंपनी से मांगी गई रॉयल्टी की राशि उचित थी और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर देना चाहिए। अपनी दलीलों को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने **उड़ीसा राज्य और अन्य** बनाम . मैसर्स. इस्पात अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड [(1998) 6 एससीसी 476] में इस न्यायालय द्वारा दिया गये फैसले का हवाला दिया।

20. दूसरी ओर, प्रतिवादी–कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों का पुरजोर समर्थन किया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रतिवादी–कंपनी अवशेष पर रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि अवशेष को लीज क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला गया था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य [(2004) 6 एससीसी 281], मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने आगे कहा था कि नियम 64 सी के प्रावधानों के अनुसार, जब तक डंप किए गए अवशेष या अस्वीकृत का उपभोग पट्टेदार द्वारा नहीं किया जाता है, ऐसे अवशेष या अस्वीकृत पर कोई रॉयल्टी नहीं ली जा सकती है।

21. प्रतिवादी–कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया कि अवशेष में निहित सीसा और जस्ता की नगण्य मात्रा, जिसे पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया जाता है और जिसे पट्टे वाले क्षेत्र के भीतर डंप किया जाता है उसे रॉयल्टी की गणना के प्रयोजन के लिए कभी भी शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना के अनुसार, रॉयल्टी का भुगतान उत्पादित अयस्क में निहित धातु पर किया जाना है। जो अवशेष पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है उसे उत्पादित अयस्क से निकले गए धातु के रूप में नहीं माना जा सकता ।

22. उनके अनुसार, अवशेष, कीचड़ या अस्वीकृत में मौजूद नगण्य धातु कभी भी रॉयल्टी की गणना का विषय नहीं हो सकती है क्योंकि धातु का वह हिस्सा जो पट्टे के क्षेत्र में धरती में डंप कर दिया गया हो उसे पट्टे के क्षेत्र से बाहर ले गए उत्पादित धातु की सामग्री में शामिल नहीं किया जा सकता है।

23. विद्वान वकील को विस्तार से सुनने और प्रासंगिक सामग्री और आक्षेपित निर्णय और विद्वान वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों के अवलोकन पर, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही है।

24. यह ध्यान रखना उचित है कि अधिनियम की धारा 9 अपीलकर्ता–प्राधिकरण को खनन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि से पट्टा धारक द्वारा निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी वसूलने में सक्षम बनाती है। रॉयल्टी की राशि की गणना करने की पद्धति नियमों और समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की जाती है।

25. यह भी ध्यान रखना उचित है कि 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना जारी होने से पहले, 11 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना के आधार पर, पट्टा धारक द्वारा उत्पादित धातु सांद्रता के आधार पर रॉयल्टी की गणना की जानी थी, जबकि 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना के अनुसरण में, रॉयल्टी की गणना करने की विधि में काफी बदलाव किया गया है और उक्त अधिसूचना के अनुसरण में, रॉयल्टी की गणना उत्पादित अयस्क में सीसा और मेंजस्ता धातु की मात्रा पर की जाएगी

26. केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद, नियमों के नियम 64 के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया था। उक्त संशोधन के आधार पर, नियम 64 बी और नियम 64 सी 25 सितंबर, 2000 से शामिल किए गए थे, जो इस प्रकार हैं:

"64 बी. प्रसंस्करण के अधीन खनिजों के मामले में रॉयल्टी का प्रभार.– (1) यदि पट्टे वाले क्षेत्र के भीतर रन–ऑफ–माइन का प्रसंस्करण किया जाता है, तो, पट्टे वाले क्षेत्र से निकाले गए संसाधित खनिज पर रॉयल्टी प्रभार्य होगी .

(2) यदि रन–ऑफ–माइन खनिज को पट्टे वाले क्षेत्र से किसी प्रसंस्करण संयंत्र में ले जाया जाता है, जो पट्टे वाले क्षेत्र के बाहर स्थित है, तो, रॉयल्टी असंसाधित रन–ऑफ–माइन खनिज पर ली जाएगी, न कि संसाधित उत्पाद पर। .

64 सी. अवशेष या अस्वीकृत पर रॉयल्टी – पट्टा क्षेत्र से अवशेष या अस्वीकृत को डंपिंग के लिए हटाने पर, न कि बिक्री या उपभोग के लिए, पट्टा क्षेत्र के बाहर ऐसे अवशेष या अस्वीकृत रॉयल्टी के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे;

बशर्ते कि यदि डंप किए गए अवशेष या अस्वीकृत का उपयोग ऐसी डंपिंग की तारीख के बाद किसी भी तारीख को बिक्री या उपभोग के लिए किया जाता है, तो, ऐसे अवशेष या अस्वीकृत रॉयल्टी के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

27. वर्तमान मामले में, हम नियमों के नियम 64 सी के प्रावधानों को पर विशेष ध्यान देंगे। उक्त नियम का अवलोकन करने पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक बिक्री के लिए या उपभोग के लिए टेलिंग्स या रिजेक्ट्स का उपयोग नहीं किया जाता है ऐसे अवशेष या अस्वीकृत रॉयल्टी के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

28. इसके अलावा, नियमों के नियम 64 बी के प्रावधान यह भी स्पष्ट करते हैं कि रन–ऑफ–माइन के प्रसंस्करण के मामले में, रॉयल्टी केवल पट्टे वाले क्षेत्र से निकाले गए संसाधित खनिज पर ली जाएगी।

29. 12 सितंबर, 2000 का पूर्वोक्त संशोधन और अधिसूचना स्पष्ट रूप से उत्पादित अयस्क में धातु की मात्रा पर रॉयल्टी की गणना के संबंध में सरकार की मंशा को दर्शाती है, न कि अवशेषों या अस्वीकृतों पर, जो पट्टे के क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाई गई हैं। धातु की नण्य सामग्री जो खनन क्षेत्र में अवशेष, कीचड़ या अस्वीकृत के माध्यम से रह जाती है और धरती पर वापस आ जाती है, उसे उत्पादित अयस्क में धातु की मात्रा का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है।

30. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार कहा है :

"डंप किए गए अवशेष या अस्वीकृत अवशेष रॉयल्टी के भुगतान के लिए केवल तभी उत्तरदायी हो सकते हैं जब उन्हें बेचा या उपभोग किया जाता है"।

31. इस न्यायालय द्वारा यहां ऊपर बताई गई विवेचना से यह बहुत स्पष्ट है कि एक बार जब धातु का एक हिस्सा धरती माता को वापस लौटा दिया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसे निकाला गया है या

इसे पट्टे के क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है और जब वह धातु जो पट्टे के क्षेत्र से बाहर नहीं निकाली गई है या जो उत्पादित अयस्क में शामिल नहीं है, तो उसे रॉयल्टी के भुगतान के अधीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि पट्टा धारक ने कभी भी उस हिस्से को बाहर नहीं निकाला है। इसलिए, इसे उत्पादित अयस्क में निहित धातु का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है।

32. यद्यपि राज्य के विद्वान वकील ने उन प्रपत्रों का उल्लेख किया जिसमें खदानों से प्राप्त अयस्क और उपचारित अयस्क के संबंध में जानकारी भरी जानी आवश्यक थी और खनन पट्टा धारक द्वारा संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई गई, हमारी राय में उक्त जानकारी और कथन अधिक प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि सरकार द्वारा अपेक्षित प्रत्येक जानकारी रॉयल्टी की गणना के उद्देश्य से आवश्यक नहीं हो सकती है। संभवतः खनन पट्टा धारकों से प्राप्त जानकारी किसी अन्य आकस्मिक उद्देश्य के लिए होगी या खनन पट्टा धारक द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के उद्देश्य से होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि पट्टा धारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई रॉयल्टी की गणना सही है।

33. उपर्युक्त कारणों से, हमारी राय में, हमें नियमों में निर्दिष्ट प्रपत्रों के संबंध में किए गए अनुरोधों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

34. आक्षेपित निर्णय और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर, हम पाते हैं कि निचली अदालतों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई गलती नहीं की कि पट्टे का धारक विवादित नोटिस के तहत मांगी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ी गई 12 सितंबर, 2000 की अधिसूचना के आधार पर, पट्टा धारक को केवल उत्पादित अयस्क में धातु की सामग्री पर रॉयल्टी का भुगतान करना होता है, न कि अवशेषों, अस्वीकृत या कीचड़ में निहित धातु की मात्रा पर जिसे पट्टे वाले क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया था और जिसे पट्टे वाले क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया गया था।

35. उपर्युक्त कारणों से, हमें अपील में कोई सार नहीं मिला और इसलिए, लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील खारिज की जाती है।

<u>सिविल अपील सं. 2008 का 1526</u>

36. जहां तक वर्तमान अपील का सवाल है, यह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दायर की गई है और यह उन निर्देशों से व्यथित है जिसके तहत उत्पादित अयस्क में लेड और जिंक की देय रॉयल्टी की पुन: गणना के लिए मामले को खनन अभियंता को सौंपने का आदेश दिया गया है।

37. अपीलकर्ता–कंपनी उपर्युक्त निर्देश से व्यथित है क्योंकि राज्य द्वारा कभी यह प्रार्थना नहीं की गई कि रॉयल्टी की पुनः गणना के लिए मामला खनन इंजीनियर को वापस भेज दिया जाए।

38. अपीलकर्ता–कंपनी की ओर से प्रस्तुतीकरण इस आशय का था कि चूंकि पूरा सांद्रण पट्टे के क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है और चूंकि सीसा और जस्ता के सांद्रण की मात्रा बहुत अच्छी तरह ज्ञात थी, इसलिए ऐसा निर्देश

देना आवश्यक नहीं था क्योंकि उत्पादित अयस्क में निहित धातु के आधार पर रॉयल्टी की पुनः गणना के संबंध में कोई विवाद ही नहीं है।

39. जो प्रस्तुत किया गया है उसमें हम तथ्य पाते हैं क्योंकि पट्टे वाले क्षेत्र से जो धातु सांद्रण निकाला गया था, वह पार्टियों को ज्ञात है और इसलिए, अपीलकर्ता–कंपनी द्वारा उत्पादित अयस्क के संबंध में किसी और विवरण की आवश्यकता नहीं है।

40. इसलिए, हम उपर्युक्त निर्देश को रद्द करते हैं और अपीलकर्ता–कंपनी द्वारा दायर अपील को, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के, अनुमति दी जाती है।

बी.बी.बी. अपीलें निस्तारित।

**Smt. Namit Dwivedi,**
**Assistant Director, MPSJA**